

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 22/12/2023 को संपन्न 505वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 504वीं बैठक दिनांक 21/12/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 504वीं बैठक दिनांक 21/12/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स रमेश स्टील इंडस्ट्रीज यूनिट-II (प्रो.- श्री रमेश स्टील इंडस्ट्रीज), जी.ई. रोड टाटीबंध, तहसील व जिला- रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2721)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /आईएनडी1 /449833/2023, दिनांक 21/10/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा जी.ई. रोड टाटीबंध, तहसील व जिला-रायपुर स्थित कुल क्षेत्रफल - 1.431 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि-रोलड

प्रोडक्ट्स क्षमता – 24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 3.95 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 22/12/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रिट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मुड़पार, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2267)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2 /414364 /2023, दिनांक 13/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2 /449566 /2023, दिनांक 21/10/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-मुड़पार, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 एवं 168/1(पोर्ट), कुल क्षेत्रफल – 11.1 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर, निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित ग्रेन बेस्ड डिस्टीलरी (एथेनॉल/इएनए) क्षमता – 195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को-जनरेशन पॉवर प्लांट – 7 मेगावॉट हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 250 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 312, दिनांक 03/05/2023 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टीलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश सुल्तानिया, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए. एम.पी.आई. इन्चार्ज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटतम आबादी ग्राम—मुड़पार 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम—मुड़पार 800 मीटर, अस्पताल अकलतरा 6.5 कि.मी. तथा रेलवे स्टेशन कापन 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलसा देवी विमानपत्तन, बिलासपुर 38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 850 मीटर दूर है। चिरका नाला 1 कि.मी. एवं कांजी नाला 1.8 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि संबंधी जानकारी — भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 168/1 शासकीय भूमि है। शेष खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्पीट्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

3. लीज का विवरण — लीज मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्पीट्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 99 वर्षों अर्थात् दिनांक 11/02/2022 से 10/02/2121 तक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

Land Use	Area (in Sqm)	Area (%)
Built-up Area	20,709	18.7
Area under utility	6,448	5.8
Area under road	16,217	14.6
Green Belt Area	44,393	40.0
Parking Area	19,331	17.4
Open area	3,902	3.5
Total	1,11,000	100

5. रॉ-मटेरियल —

S. No.	Raw Material/ Fuel	Source	Quantity (TPD)	Method of Transport
1.	Multi Grain (Rice, Maize, Bajra, Jowar, Corn, sorghum grain Waste/damaged broken rice and other starch-based grains, etc.) Unfit to Human consumption	Local area (Chhattisgarh)	445	By Road through covered trucks
Fuel for 1X55 TPH Boiler				

1.	Biomass	Local	336	By Road through covered trucks
or				
2.	Indian coal	SECL	258	By Road through covered trucks

6. प्रस्तावित उत्पादन इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Extra Neutral Alcohol / Ethenol	195 KLPD
2.	Electricity	7.0 MW*
By-Products		
1.	DDGS (Distillers Dried Grain Solubles)	101 TPD
2.	CO ₂ Recovery form Fermentation Process	91 TPD
Note: *The 55 TPH Boiler is proposed to meet the steam requirement.		

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित परियोजना में 01 नग फ्लुडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर क्षमता 55 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। बॉयलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. लगाया जाना प्रस्तावित है, SO_x उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लाईम डोजिंग किया जाना प्रस्तावित है तथा NO_x उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लो बरनर्स विथ थ्री स्टेज कम्बशन, फ्लू गैस रि-सर्कुलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। बॉयलर में ईंधन के रूप में कोयला एवं बॉयोमास का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। बॉयलर में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर, SO_x उत्सर्जन की मात्रा 100 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं NO_x उत्सर्जन की मात्रा 100 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। बॉयलर में चिमनी की ऊंचाई 55 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। अन्य धूल उत्सर्जन बिन्दुओं पर फ्युम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर एवं जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। कन्व्हेयर बेल्ट्स को ढंका जाना प्रस्तावित है। क्लोज्ड इंटर लॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी जिससे ई. एस.पी. के बंद होने पर रॉ-मटेरियल फीडिंग स्वतः ही बंद हो जावेगी। लोडिंग/अनलोडिंग में डस्ट सप्रेसन हेतु वॉटर स्पिंकलर्स की व्यवस्था की जाएगी। चिमनी में ऑनलाईन कंतिनुअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Details of Hazardous Wastes				
S. No.	Solid waste/ by products		Quantity (TPD)	Disposal/Management
1.	DDGS		101	Will be sold as cattle feed/ fish feed/ prawn feed
2.	Boiler Ash	When 100% Indian coal is used	103	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
		Or		

		When 100% biomass	53	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
--	--	-------------------	----	---

9. परिसंकटमय अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – प्रस्तावित परियोजना से परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वेस्ट ऑयल 0.5 किलोलीटर प्रतिवर्ष एवं यूज्ड बैटरी जनित होगा। वेस्ट ऑयल को एच.डी.पी.ई. ड्रम्स में रखा जाकर अधिकृत रिसायकलर को प्रदाय किया जायेगा तथा यूज्ड बैटरी को सप्लायर्स को वापस प्रदाय किया जायेगा।
10. जल प्रबंधन व्यवस्था –
- जल खपत एवं स्रोत – परियोजना हेतु कुल 4,174 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 4,162 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। रि-साईकल्ड जल की मात्रा 3,126 घनमीटर प्रतिदिन होगी। आवश्यक फ्रेश वॉटर की मात्रा 1,048 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में 900 घनमीटर हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 06/09/2025 तक है। परिसर के भीतर वॉटर स्टोरेज टैंक क्षमता 35,530.4 घनमीटर की स्थापना का प्रस्ताव है। शेष जल की आपूर्ति उक्त वॉटर स्टोरेज टैंक में एकत्रित जल के माध्यम से की जाएगी।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से 1,939 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। डिस्टीलरी इकाई से उत्पन्न दूषित जल (स्पेंट लीज, प्रोसेस कंडनसेट, कूलिंग टावर ब्लोडाउन आदि) के उपचार हेतु ई.टी.पी. लगाया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 09 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डिसइन्फेक्शन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईड का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित प्रक्रिया से स्पेंट वॉश की मात्रा 1,170 घनमीटर प्रतिदिन जनित होगा। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर से निकलने वाले स्पेंट वॉश को ड्रायर के माध्यम से सुखाकर डी.डी.जी.एस. का उत्पादन किया जायेगा, जिसे पशु के चारा / मछली के चारा (Cattle feed / fish feed) हेतु विक्रय किया जाएगा। मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर से जनित कण्डनसेट को पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. एवं एस.टी.पी. के निकासी बिन्दुओं में कन्टीन्युअस वॉटर एफ्ल्यूएन्ट सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का उपयोग पुनः प्रक्रिया एवं वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। एस.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का उपयोग जल छिड़काव, वृक्षारोपण आदि में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।
 - भू-जल उपयोग प्रबंधन – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार:-
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 56,405 घनमीटर है, जिसमें से कुल रनऑफ के 20,874.6 घनमीटर को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 15 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है एवं कुल रनऑफ के शेष 35,530.4 घनमीटर को वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर एवं उपचारित कर प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा।
- 11. विद्युत आपूर्ति स्रोत – परियोजना हेतु 7 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति केप्टिव को-जनरेशन पॉवर प्लांट से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,000 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट (30 मीटर ऊंचाई) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- 12. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – प्रस्तावित परियोजना हेतु 4.43 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 11,100 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 10 मीटर से 20 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 11,100 नग पौधों के लिए राशि 7,32,700 रुपये, खाद के लिए राशि 83,400 रुपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 3,00,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,92,000 रुपये एवं अन्य खर्च के लिए राशि 50,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 13,58,100 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 18,94,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- 13. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-
 - i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। उक्त मॉनिटरिंग हेतु फोटोग्राफ्स एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
 - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	20.0	37.2	60
PM ₁₀	41.6	75.4	100
SO ₂	6.0	13.8	80
NO ₂	9.0	16.5	80
 - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।
 - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	49.6	70.4	75
Night L_{eq}	39.7	65.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 149बी में वर्तमान में 282 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.18 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 14.6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 296.6 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.2 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।
- vi. जी.एल.सी. की गणना -

Net resultant maximum concentration During the operation of the project (APCS working Scenario) - as per baseline data			
ITEM	PM ₁₀ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)	NO _x (µg/m ³)
Maximum baseline Concentration in the study area	75.4	13.8	16.5
Maximum predicted incremental rise in concentration due to the proposed project	0.88	8.0	1.87
Net Resultant concentrations during operation	76.28	21.8	18.37
National Ambient Air Quality Standards	100	80	80

The net resultant Ground level concentrations during operation of the Proposed project are within the NAAQS.

14. लोक सुनवाई दिनांक 12/09/2023 प्रातः 11:00 बजे स्थान - योगेश स्मृति भवन अकलतरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 16/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
15. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- अकलतरा नगर में पहले से ही पानी की समस्या है। बरसात में भी जल की आपूर्ति घरों में बराबर नहीं हो पा रही है। इस प्लांट के लगने से भूमिगत जल स्रोत और कम होगा, जिससे पीने के पानी की समस्या और बढ़ेगी व किसानों के खेतों के नल कूप सूख जायेंगे।
 - प्लांट के माध्यम से गांव की शासकीय भूमि व गोचर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उक्त प्लांट खोलने से गोचर भूमि की समस्या होगी एवं गांव की शुद्ध वातावरण भी प्रभावित होगी।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. भू-जल उपयोग के लिये सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति ली जायेगी। भू-जल पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिये सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की गाईडलाईन्स का पालन किया जायेगा।
 - ii. हमने मानदंडों के अनुसार भूमि अर्जित की हैं। प्रस्तावित परियोजना शून्य तरल निर्वहन मानदंडों पर आधारित है। आसपास के क्षेत्र में जल प्रदूषण नहीं होगा। हमने सीपीसीबी मानदंडों के अनुसार प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिये ईएसपी का प्रस्ताव दिया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25000	2% of 100 crore + 1.5% of 150 crore	425	Following activities at,	
			1. Eco park at khasra no. 168/1 of village Mudpar	45.82
			2. Development of Pond at khasra no. 392/1 of village Mudpar	52.15
			3. Development of Eco library at School, Mudpar	8.0
			4. Plantation at khasra no. 168/1 cremation ground of village Mudpar	10.14
			5. Eco Park at khasra no. 1780/1 of village Banari	37.71
			6. Development of Pond at khasra no. 41 of village Banari	41.6
			7. Plantation at school, Banari	11.9
			8. Plantation at khasra no. 1780/1 cremation ground of village Banari	9.65

			9. Water Facility at School, Banari	10.0
			10. Eco Park at khasra no. 211/1 of village Parsada	30.93
			11. Development of Pond at khasra no. 321 of village Parsada	35.45
			12. Plantation at school, Parsada	9.2
			13. Plantation at khasra no. 211/1 cremation ground of village Parsada	11.45
			14. Eco Park at khasra no. 838/1 of village Hati Tikra	31.14
			15. Development of Pond at khasra no. 478 of village Hati Tikra	44.01
			16. Plantation at school, Hati Tikra	9.4
			17. Plantation at khasra no. 838/1 cremation ground of village Hati Tikra	11.6
			18. Development of Eco library at School, Amartal	5.0
			19. Water Facility at Village Panchayat office, Nawapara	10.0
			Total	425.15

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये हैं—

- ग्राम-मुड़पार में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 6,450 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 16,77,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,25,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 3,28,500 रुपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 1,82,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,13,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 20,68,650 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत-मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 168/1, क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम-मुड़पार में तालाब के विकास कार्य के तहत 5,950 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 41,65,000 रुपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 480 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,72,800 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,37,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,13,016 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 392/1, क्षेत्रफल 0.595 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 52,15,000 रुपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-मुड़पार के स्कूल में ईको लाईब्रेरी के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार लाईब्रेरी के आधारभूत संरचना के लिए राशि 3,00,000 रुपये, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किताबों, अध्ययन सामग्री के लिए राशि 3,25,000 रुपये एवं कम्प्यूटर के लिए राशि 1,80,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 8,05,000 रुपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम-मुड़पार के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 510 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,32,600 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,96,850 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,16,670 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 168/1, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-बनारी में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,300 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 11,18,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 3,28,500 रुपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 2,22,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,54,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 18,17,100 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत बनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1780/1, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-बनारी में तालाब के विकास कार्य के तहत 4,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 31,50,000 रुपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 390 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,40,400 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,04,650 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,02,513 रुपये हेतु घटकवार व्यय

का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् ग्राम पंचायत बनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 41, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 41,60,000 रुपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम-बनारी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 780 नग पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 2,80,800 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,45,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,48,026 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम-बनारी के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 380 नग पौधों, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 98,800 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,63,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,01,460 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1780/1, क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-परसदा में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,680 नग पौधों, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 12,16,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,85,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 2,22,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,88,550 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,04,560 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 211/1, क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-परसदा में तालाब के विकास कार्य के तहत 5,470 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 26,25,600 रुपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 200 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिंचाई एवं खाद के लिए राशि 72,000 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,36,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,80,340 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 321, क्षेत्रफल 0.547 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 35,45,000 रुपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-परसदा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 260 नग पौधों, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 67,600 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,31,850 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,87,420

रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- ग्राम-परसदा के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 680 नग पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 2,44,800 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,09,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,36,356 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुड़पार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 211/1, क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-हाथि टिकरा में "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" के तहत (पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4,710 नग पौधों, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 12,24,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,95,000 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये तथा अन्य कार्य के लिये राशि 2,22,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,06,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,08,070 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन निर्माण (ईको पार्क)" हेतु ग्राम पंचायत हाथि टिकरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 838/1, क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-हाथि टिकरा में तालाब के विकास कार्य के तहत 6,440 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 2 मीटर गहराई में खुदाई कर पिचिंग कार्य हेतु राशि 31,87,800 रूपये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही तालाब के चारों ओर कुल 410 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन, कटहल आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 1,47,600 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,11,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,04,847 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अर्थात् ग्राम पंचायत हाथि टिकरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 478, क्षेत्रफल 0.644 हेक्टेयर में स्थित तालाब के विकास एवं चारों ओर वृक्षारोपण हेतु कुल 44,01,000 रूपये व्यय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ग्राम-हाथि टिकरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 310 नग पौधों, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 80,600 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,44,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,93,270 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ग्राम-हाथि टिकरा के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 710 नग पौधों, फेंसिंग, सिचाई एवं खाद के लिए राशि 2,55,600 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,19,850 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,39,857 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत

हाथि टिकरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 838/1, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- ग्राम—अमरताल के स्कूल में ईको लाईब्रेरी के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार लाईब्रेरी के आधारभूत संरचना के लिए राशि 2,00,000 रुपये, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किताबों, अध्ययन सामग्री के लिए राशि 2,10,000 रुपये एवं कमप्यूटर के लिए राशि 90,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 5,00,000 रुपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानपाठक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 - ग्राम—नवापारा में वॉटर फिल्टर प्लांट निर्माण के लिए राशि 10,00,000 रुपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत बिरकोनी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That the products made will be Extra Neutral Alcohol [ENA] and Ethanol." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will sell the product in open market as Extra Neutral Alcohol [ENA] which is used in potable alcohol or to Oil Marketing Companies (OMCs) as 'Ethanol' which is used for Petrol Blending under "Ethanol Blended Petrol [EBP] policy" laid by Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will procure the grains as raw material from nearby FCI Depot/ open market as per rules by concerned governing bodies." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will provide the OMC certificate to concerned FCI Divisional Manager if we use the grain/ rice as raw material for production of EBP." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will use food grains which is unfit for human consumption and broken rice, Maize and food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination Committee (NBCC) shall only be used as a raw material." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14.03.2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "That we will give our by-product "Distillers Dried Grain Soluble [DDGS] to local farmers and dairies on 25% discount on

prevailing market price.” बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा “That No violation case is under consideration as per MoEF&CC OM no.: 804 (E) dated: 14.03.2017.” बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा “That the Public hearing as per EIA Notification 2006 as amended for our proposed project has been conducted on 12.09.2023.” बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा “That the Company will strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public hearing.” बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा “That the Company will give priority in employment to local peoples as per their qualification as per commitment given in Public Hearing and Chhattisgarh Government Policy.” बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा “That the Company has proposed to develop greenery over 40% of total land available and we will maintain 90% survival rate of total plantation done within premises.” बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्पीट्स प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम-मुड़पार, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 एवं 168/1(पोर्ट), कुल क्षेत्रफल - 11.1 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर, निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में प्रस्तावित ग्रेन बेस्ड डिस्टीलरी (एथेनॉल/इएनए) क्षमता - 195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को-जनरेशन पॉवर प्लांट - 7 मेगावॉट हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स जामझोर लो-ग्रेड लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री चिरंजीव महान्ती), ग्राम-जामझोर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2695)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 446667 एवं 08/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.105 हेक्टेयर एवं 20,437.5 टन (8,175 घनमीटर) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	116/1/2, 116/2, 117/1/2, 117/2, 117/3 एवं 118/2	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 116/2, 117/2 एवं	उत्खनन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

	117/3 श्री अभय कुमार महन्ती तथा शेष खसरे आवेदक के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री चिरंजीव महन्ती, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बांसमुड़ा दिनांक 06/05/2022	आश्रित ग्राम-जामझोर
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 27/06/2023	
500 मीटर	दिनांक 10/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10/08/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री चिरंजीव महान्ती दिनांक - 20/04/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ द्वारा जारी दिनांक 05/11/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 500 मीटर, गोमर्डा अभ्यारण्य से दूरी 107 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - जामझोर 310 मीटर स्कूल - 4.3 कि.मी. अस्पताल - खरसिया 3 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 45 मीटर राज्यमार्ग - 27 कि.मी. रेल्वे स्टेशन - खरसिया 3.5 कि.मी.	माण्ड नदी - 3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल 2,48,625 टन माईनेबल 1,02,187 टन रिकवरेबल 91,968 टन प्रस्तावित गहराई 9 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 2 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष क्रशर स्थापित - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 20,437.5 टन द्वितीय 20,437.5 टन तृतीय 20,437.5 टन चतुर्थ 20,437.5 टन पंचम 20,437.5 टन

उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 3,440 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल - (1) 338 वर्गमीटर क्षेत्र (2) 1,719 वर्गमीटर क्षेत्र क्षेत्र छोड़ने का कारण - (1) राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर की दूरी एवं लेबर रूम हेतु। (2) हॉल रोड, रेम्प डेव्हलपमेंट एवं स्लोप मेंटेनेन्स हेतु।	माईनिंग प्लान में उल्लेख- हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 7,272 घनमीटर	7,272 घनमीटर - लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 153/2, क्षेत्रफल 1.948 हेक्टेयर) में पुनःभराव हेतु भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा - 3.5 घनमीटर प्रतिदिन स्रोत - माईन पीट एवं बोरवेल	खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 550 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 2,06,950 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, सी.ई.आर. के तहत निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों हेतु, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो भी राशि तय की जायेगी उसका उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.105 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26	2%	0.52	Following activities at Nearby, Govt Primary School, Village-Jamjhor	
			Potable Drinking Water Facility at Govt. primary School, Jamjhor	0.159
			Plantation around Village Pond	0.584
			Total	0.744

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (अर्जुन, सीसु, सिरसा, शीशम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 3,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 41,450 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 16,980 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जामझोर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 125/1 क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य (Principal) के सहमति उपरांत स्कूल में पेयजल की व्यवस्था हेतु 15,990 रुपये का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जामझोर लो-ग्रेड लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री चिरंजीव महान्ती) को ग्राम-जामझोर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 116/1/2, 116/2, 117/1/2, 117/2, 117/3 एवं 118/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.105 हेक्टेयर, क्षमता-20,437 टन (8,175 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राथिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री साईं हनुमंत स्टोन मुढ़ेना (प्रो.- श्री साईं हनुमंत स्टोन, पार्टनर- श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमंत साहू), ग्राम-मुढ़ेना, तहसील व जिला-महासमुद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2706)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 446215 एवं 18/10/2023	
खदान का प्रकार	फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.79 हेक्टेयर एवं 2,000 घनमीटर (5,000 टन) प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 175, 215, 216	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 216 श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमन्त साहू खसरा क्रमांक 175, 215 श्री अरुण कुमार	भू-स्वामी श्री अरुण कुमार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री अजय सिंहदेव एवं हेमन्त साहू पार्टनर है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अजय सिंहदेव, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत. मुढ़ेना दिनांक 27/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 17/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 06/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 06/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं। 53 मीटर की दूरी में पक्की सड़क अवस्थित है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री साईं हनुमंत स्टोन, पार्टनर- श्री अजय सिंहदेव एवं श्री	

	हेमंत साहू दिनांक - 22/08/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुन्द द्वारा जारी दिनांक 15/06/2023	वन क्षेत्र से दूरी - कक्ष क्रमांक 440 से 5 कि.मी. दूर है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - मुढ़ेना 500 मीटर स्कूल - मुढ़ेना 500 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग - 1.5 कि.मी.	महानदी - 1 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व - जियोलॉजिकल 2,67,795 घनमीटर माईनेबल 1,14,525 घनमीटर रिकव्हेरेबल 85,894 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 16.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 58 वर्ष क्रशर स्थापित - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,000 घनमीटर तृतीय 2,000 घनमीटर चतुर्थ 2,000 घनमीटर पंचम 2,000 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,200 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 1.5 मीटर मात्रा - 10,700 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 8,025 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 2,675 घनमीटर - लीज क्षेत्र के टेम्पररी डम्प क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा - 5 घनमीटर स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 870 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 10,50,000
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, लीज के 7.5	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण

	मीटर में कोई भी उत्खनन नहीं किया गया है एवं भविष्य में भी कोई उत्खनन नहीं किये जाने बाबत, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.79 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.07	2%	1.001	Following activities at Nearby, Village- Mudhena	
			Plantation at Village pond	8.51
			Total	8.51

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 75 नग पौधों के लिए राशि 3,750 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,500 रुपये, खाद के लिए राशि 375 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,76,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,17,625 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,33,660 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुढेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 761, क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री साई हनुमंत स्टोन मुढेना (प्रो.- श्री साई हनुमंत स्टोन, पार्टनर-श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमंत साहू) को ग्राम-मुढेना, तहसील व जिला-महासमुद के खसरा क्रमांक 167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 175, 215 एवं 216 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.79 हेक्टेयर, क्षमता-2,000 घनमीटर (5,000 टन) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स एम.एस.के. यदु (प्रो.- श्री मिथलेश यदु, बिजराडीह सेण्ड माईन), ग्राम-बिजराडीह, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2719)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 445987 एवं 20/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	10 हेक्टेयर एवं 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-496 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मिथलेश यदु, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बिजराडीह दिनांक 06/09/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 10/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 10/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 10/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - मेसर्स एम.एस.के. यदु, प्रो.- श्री मिथलेश यदु दिनांक - 28/08/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	

वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-बिजराडीह 1.6 कि.मी. एवं केडियाडीह 680 मीटर स्कूल ग्राम-बौदा 2.2 कि.मी. अस्पताल - पलारी 15.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 13.9 कि.मी. राज्यमार्ग - 29.2 कि.मी.	नहर - 2.3 कि.मी. एनीकट - 12.6 कि.मी. पुल - 18.35 कि.मी. नाला - 240 मीटर तालाब - 760 मीटर
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 970 मीटर, न्यूनतम 910 मीटर खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 475 मीटर, न्यूनतम 469 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 231 मीटर, न्यूनतम 193 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 302 मीटर, न्यूनतम 220 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई - 5.2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-1,80,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार - स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या - 10 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.2 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस	ग्रिड बिन्दु - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण - 2,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत बिजराडीह द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 493, क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 22,61,250 रुपये
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.
 - v. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
 - vi. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.
 - vii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.
 - viii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).
 - ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carried out only manually (excavation of sand to be done manually).
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works along with their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for at least 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स रॉक ओर मिनरल्स (पार्टनर- श्री राणा विक्रान्त सिंह, पतौरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-पतौरा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2556)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 435707 एवं 06/07/2023 ई.डी.एस.- 13/07/2023, जानकारी - 21/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.55 हेक्टेयर एवं 79,804 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	478/1, 478/2, 479/1, 480/1, 481, 482, 541(पार्ट), 542/2, 543, 545, 546, 547/1, 547/2, 547/3 एवं 547/4	
भू-स्वामित्व	निजी खसरा क्रमांक 547/2 श्री रामलाल एवं अन्य सभी खसरे श्री राणा अरुण कुमार सिंह के नाम पर है।	भू-स्वामी श्री रामलाल का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पार्टनरशीप डीड प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार श्री राणा अरुण कुमार सिंह, श्री राणा विक्रान्त सिंह एवं श्रीमती सुमन सिंह पार्टनर है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री राणा अरुण कुमार सिंह, पार्टनर उपस्थित हुये।

पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पतौरा दिनांक 13/08/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13/06/2023	
500 मीटर	दिनांक 23/06/2023	अन्य 65 खदानें, रकबा 140.423 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 23/06/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - मेसर्स रॉक ओर मिनरल्स, पार्टनर श्री राणा अरुण कुमार सिंह व अन्य 01 दिनांक - 30/05/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 20/12/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 26 कि.मी. (मनघटा) एवं 29.3 कि.मी. (नंदिनी)
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - पतौरा 850 मीटर स्कूल - उत्तई 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 कि.मी. राज्यमार्ग - 350 मीटर	खारून नदी - 17 कि.मी. नहर - 1.8 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हाँ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 33,55,625 टन माईनेबल 11,89,587 टन रिकव्हेरेबल 11,30,108 टन प्रस्तावित गहराई 30 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 16 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 29,925 टन द्वितीय 50,233 टन तृतीय 76,951 टन चतुर्थ 79,803 टन पंचम 79,804 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 9,900 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 0.15 मीटर मात्रा - 6,048 घनमीटर ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना - 5,940 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन	ओवर बर्डन मोटाई - 0.35 मीटर मात्रा - 11,760 घनमीटर ओवर बर्डन प्रबंधन योजना -

	बाउण्डी) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 108 घनमीटर – लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 542/3, रकबा 0.17 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 558, रकबा 0.25 हेक्टेयर) में पुनः भराव हेतु भण्डारित कर संरक्षित।	ओवर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख-रखाव आदि में किया जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्रोत – भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,980 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 17,19,522 रुपये
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 144.973 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

- Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit for not cutting the existing green trees without the permission of competent authority.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री सौरभ कुंभकार), ग्राम-ढौर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2725)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 449844 एवं 22/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.23 हेक्टेयर एवं 2,00,025 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	865/1(पार्ट), 865/2(पार्ट), 868, 869(पार्ट), 873(पार्ट), 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 889, 890, 891/1, 891/2, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7, 892/2(पार्ट) एवं 892/3	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि भूमि खसरा क्रमांक 865/1(पार्ट), 865/2(पार्ट), 868, 869(पार्ट), 873(पार्ट), 892/2 एवं 892/3 श्री हरिशंकर कुम्भकार, खसरा क्रमांक 888/3, 888/4, 888/5, 888/6, 889, 890 श्रीमती निर्मला बाई एवं खसरा क्रमांक 891/1, 891/2, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7 श्री अजय कुमार प्रीतवानी के नाम पर है।	भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		हरिशंकर कुंभकार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत ढौर दिनांक 12/10/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 19/10/2023	अन्य 4 खदानें, रकबा 10.443 हेक्टेयर।
200 मीटर	दिनांक 19/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री सौरभ कुंभकार दिनांक - 21/08/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 12/03/2023	वन क्षेत्र से दूरी - 28 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - ढौर 1.5 कि.मी. स्कूल - ढौर 1.5 कि.मी. राज्यमार्ग - 860 मीटर	खारून नदी - 15 कि.मी.

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल 27,15,000 टन माईनेबल 10,46,385 टन रिकवरेबल 10,14,993 टन प्रस्तावित गहराई 31.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 8 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 1,00,005 टन द्वितीय 2,00,025 टन तृतीय 1,00,005 टन चतुर्थ 1,00,005 टन पंचम 1,00,005 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 8,564 वर्गमीटर	उत्खनित - हॉ माईनिंग प्लान में उल्लेख - हॉ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 1.5 मीटर मात्रा - 33,900 घनमीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा - 6.5 घनमीटर स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,150 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 12,71,540 रुपये
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 14.673 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

- iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project



proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स चरौदा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम-चरौदा, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाठापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2723)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 445953 एवं 23/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	20 हेक्टेयर एवं 3,60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-1290 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री पंकज कुमार चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चरौदा दिनांक 10/11/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 18/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 18/10/2023	अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 18/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री पंकज कुमार चंद्राकर दिनांक - 28/08/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/12/2023 वन क्षेत्र से दूरी - 5.37 कि.मी.	लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम- चरौदा 1.7 कि.मी., अस्पताल- पलारी 12 कि.मी. स्कूल ग्राम- चरौदा 2.6 कि.मी राष्ट्रीय राजमार्ग- 11.3 कि.मी. राज्यमार्ग- 24.45 कि.मी.	नहर- 2.35 कि.मी. एनीकट- 6 कि.मी. नाला- 2.4 कि.मी. तालाब- 940 मीटर रोड पुल - 24.55 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 1,320 मीटर, न्यूनतम 1,240 मीटर खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 722 मीटर, न्यूनतम 667 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 368 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 330 मीटर, न्यूनतम 201 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई - 5.11 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-3,60,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार - स्थल पर किये गये गढ़डे (Pits) की संख्या 20 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.11 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस -	ग्रिड बिन्दु - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण - 4,000 नग ग्राम पंचायत चरौदा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 287/1, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 29,89,000
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 24.99 हेक्टेयर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 19 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
- माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्चायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - iv. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Sanctuary from the lease area.
 - v. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.
 - vi. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.
 - vii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.
 - viii. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).
 - ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xi. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री सौरभ चंद्राकर), ग्राम-मुड़ियाडीह, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2724)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 446428 एवं 22/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8 हेक्टेयर एवं 86,400 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक - 338 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सौरभ चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पासिद दिनांक 28/03/2018	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 17/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 25/08/2022	
500 मीटर	दिनांक 25/08/2022	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/08/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री सौरभ चंद्राकर दिनांक - 19/05/2023 वैधता अवधि - 6 माह	एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन दिनांक 21/11/2023 को किया गया है, जो प्रक्रियाधिन है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुन्द द्वारा जारी दिनांक 01/08/2018 वन क्षेत्र से दूरी - 3.5 कि.मी.	लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से

		अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – मुड़ियाडीह 380 मीटर स्कूल ग्राम – अवराई 3.85 कि.मी. अस्पताल – कसडोल 28 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 12.55 कि.मी. राज्यमार्ग– 27.85 कि.मी.	तालाब – 540 मीटर नाला – 1.5 कि.मी. नहर – 3 कि.मी. एनीकट – 7.15 कि.मी. रोड पुल – 2.75 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई– अधिकतम 1,200 मीटर, न्यूनतम 1,125 मीटर खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 303 मीटर, न्यूनतम 297 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 159 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी – अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4.19 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–86,400 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.19 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 09/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत पासिद द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 01(पाटी), क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,500 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी

	<p>सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा।</p> <p>2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा।</p> <p>3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>न्यायालय में लंबित नहीं है।</p> <p>2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।</p> <p>3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।</p> <p>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।</p>
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.47	2%	0.5094	Following activities at Nearby, Village- Mudiyadih	
			Plantation at Village Pond	0.718
			Total	0.718

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 40 नग जिसमें से 5 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित है। शेष 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत

पासिद के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम मुड़ियाडीह के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 207, क्षेत्रफल 0.44 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-मुड़ियाडीह) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं

पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
5. लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री सौरभ चंद्राकर), ग्राम-मुड़ियाडीह, तहसील व जिला-महासमुंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 338, कुल लीज क्षेत्रफल-4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 43,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम-बम्हनी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2727)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 449892 एवं 22/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 67,365 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-654 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री पंकज कुमार चंद्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	

ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बम्हनी दिनांक 06/03/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 18/10/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 18/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 18/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 18/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री पंकज कुमार चंद्राकर दिनांक - 28/08/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 21/12/2023	वन क्षेत्र से दूरी - कक्ष क्रमांक 38 मलपूरी की सीमा से 5.1 कि.मी. है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम - बम्हनी 1.9 कि.मी. स्कूल ग्राम - बम्हनी 2 कि.मी. अस्पताल - पलारी 13 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 12 कि.मी. राज्यमार्ग- 25.7 कि.मी.	तालाब- 570 मीटर नाला- 1.4 कि.मी. नहर- 2.4 कि.मी. एनीकट- 7.7 कि.मी. रोड पुल 23.4 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 1,150 मीटर, न्यूनतम 1,070 मीटर खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 218 मीटर, न्यूनतम 210 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 249 मीटर, न्यूनतम 217 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 182 मीटर, न्यूनतम 173 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई - 4.25 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2.25 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-67,365 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार - स्थल पर किये गये गढ़डे (Pits) की संख्या - 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.25 मीटर	

	रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस -	ग्रिड बिन्दु - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 15/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण - 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत बम्हनी द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 573/1, क्षेत्रफल 0.9 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 15,32,000 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षा ऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.42	2%	0.54	Following activities at Nearby, Village- Bamhani	
			Plantation at Village Pond	0.71
			Total	0.71

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बम्हनी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 253, क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-बम्हनी) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

- i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. लीज क्षेत्र से निकततम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईन (प्रो.-श्री पंकज कुमार चंद्राकर), ग्राम-बम्हनी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार - भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 654, कुल लीज क्षेत्रफल-4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स खुर्सीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा), ग्राम-खुर्सीपार, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2726)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 434441 एवं 23/10/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.042 हेक्टेयर एवं 40,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	73/2(पार्ट), 90, 91/1, 91/2, 91/3, 102/1 एवं 102/2	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि भूमि श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा एवं श्री घनश्याम सिंह वाघवानी के नाम पर है।	घनश्याम सिंह वाघवानी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत घोठिया दिनांक 10/09/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 20/07/2023	
500 मीटर	दिनांक 20/10/2023	अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.162 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 20/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री भूपेन्द्र सिंह सलूजा दिनांक - 14/02/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी दिनांक 29/10/2020	वन क्षेत्र से दूरी - कक्ष क्रमांक 363 से 9 कि.मी. है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी - खुर्सीपार 1 कि.मी. अस्पताल - खैरागढ़ 8.2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 28 कि.मी. राज्यमार्ग - 2.41 कि.मी.	तालाब - 850 मीटर आमनेर नदी - 7 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व - जियोलॉजिकल 13,78,350 टन माईनेबल 3,63,045 टन रिकवरेबल 3,44,892 टन प्रस्तावित गहराई 27 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 40,000 टन द्वितीय 40,000 टन तृतीय 40,000 टन चतुर्थ 40,000 टन पंचम 40,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 7,037 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 1 मीटर मात्रा - 13,000 घनमीटर	7,000 घनमीटर - 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई पर फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 6,000 घनमीटर - लीज क्षेत्र के बाहर ग्राम पंचायत घोठिया के द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 530/1(पार्ट), क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा - 8 घनमीटर स्रोत - भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	1,700 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 5,27,000
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 6.204 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.

ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project Proponent shall submit the top soil & Overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for mining.
- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स दतरेंगी सेण्ड माईन (प्रो.- श्री बिनय जायसवाल), ग्राम-दतरेंगी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-माटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2729)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 445331 एवं 28/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.9 हेक्टेयर एवं 88,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक-1512 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री राजा बाबू मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत दतरेंगी दिनांक 14/08/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 16/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 16/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 16/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक -श्री बिनय जायसवाल दिनांक - 31/07/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय	लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की

	वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	दूरी का उल्लेख करते वये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम-दतरेंगी 1.4 कि.मी. एवं बल्दाकछार 900 मीटर स्कूल ग्राम - दतरेंगी 2.4 कि.मी, अस्पताल - पलारी 11.2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग - 10.85 कि.मी. राज्यमार्ग- 23 कि.मी.	तालाब- 1.45 मीटर नाला- 1.1 कि.मी. नहर- 1.75 कि.मी. एनीकट- 4.3 कि.मी. रोड पुल - 25.25 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 710 मीटर, न्यूनतम 670 मीटर खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 321 मीटर, न्यूनतम 319 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 154 मीटर, न्यूनतम 152 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई - 5.2 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-88,200 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार - स्थल पर किये गये गढ़े (Pits) की संख्या - 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.2 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस	ग्रिड बिन्दु - 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 14/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण - 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत दतरेंगी द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 840, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि - 15,13,125 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1.परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, सी.ई.आर. के तहत	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1.परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध इस परियोजना/खदान से

	<p>प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा।</p> <p>2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा।</p> <p>3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन्स 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।</p> <p>2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।</p> <p>3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।</p> <p>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।</p>
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.58	2%	0.57	Following activities at Nearby, Village- Datrengi	
			Plantation around Pond	0.71
			Total	0.71

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत

दतरेंगी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1072, क्षेत्रफल 1.935 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावे। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-दतरेंगी) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं

पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स दतरेंगी सेण्ड माईन (प्रो.-श्री बिनय जायसवाल) को ग्राम-दतरेंगी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1512, कुल लीज क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स पैरागुड़ा सेण्ड माईन (प्रो.- श्री उमेश कुमार बर्मन), ग्राम-पैरागुड़ा, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2730)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. - 446388 एवं 28/10/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.99 हेक्टेयर एवं 89,820 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	505वीं बैठक दिनांक 22/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पुटपुरा दिनांक 31/10/2017	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/10/2023	
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 26/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 26/10/2023	अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 21.98 हेक्टेयर है।
200 मीटर	दिनांक 26/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - श्री उमेश कुमार बर्मन दिनांक - 28/08/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम- पैरागुड़ा 1.2 कि.मी., अस्पताल- पलारी 15.45 कि.मी. स्कूल ग्राम- ठाकुरदिया 1.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 13.1 कि.मी. राज्यमार्ग- 14.5 कि.मी.	नहर- 2.4 कि.मी. एनीकट- 6.3 कि.मी. नाला- 220 मीटर तालाब- 1.25 कि.मी. रोड पुल - 14.85 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई- अधिकतम 850 मीटर, न्यूनतम 790 मीटर खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 246 मीटर, न्यूनतम 236 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर खदान की नदी तट के किनारे से दूरी - अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई - 5.1 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा-89,820	

	घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गड्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.1 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवलस (Levels) दिनांक 13/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत पुटपुरा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 6/1, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,11,750
श्रेणी	बी-1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 26.97 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- iv. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.
- v. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Sanctuary from the lease area and also submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit of doing sand mining with the help of labourer and not use machines in the river for mining and loading.
- vii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.
- viii. Project Proponent shall submit the sand replenishment study duly verified by district mining officer of mining department.
- ix. Project Proponent shall submit the high flood level (HFL) details from the competent authority. Plantation in the river bank will have to be done leaving high flood level (HFL).
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S SHREE SHYAM
ETHANOL AND SPIRITS PRIVATE LIMITED FOR NEW GRAIN BASED
DISTILLERY (ETHANOL / ENA) CAPACITY – 195 KILO LITER PER DAY WITH
CO-GENERATION PLANT CAPACITY – 7 MW AT VILLAGE- MUDPAR (KHASRA
NO.- 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/6kh 199/2, 169/1, 169/2, 170,
171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 and 168/1(PART), TEHSIL-AKALTARA,
DISTRICT- JANJGIR-CHAMPA. AREA- 11.10 Ha.**

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iv. The project proponent shall obtain prior permission from CREDA for utilization of rice husk (Biomass) as a fuel.
- v. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.
- vi. Project proponent shall obtain prior permission from CREDA for use of biomass in the boiler as a fuel.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 Continuous Emission Monitoring System at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall install online Continuous Ambient Air Quality Monitoring System for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions. These systems shall be connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and ambient air quality monitoring to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal Office of CPCB and Regional Office of CECB along with six monthly monitoring reports.
- iv. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.
- v. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/CECB guidelines.

- vi. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Electro static precipitator of adequate capacity and high efficiency shall be installed in boiler with minimum 55 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. Project Proponent shall install lime-dosing unit to control the emission of SO_x. Low NO_x burner with 3-stage combustion, flue gas re-circulation and autocombustion control system shall be installed. Project proponent shall ensure that emission of SO_x and NO_x shall be less than 100 mg/Nm³. Carbon dioxide scrubber shall be installed in fermentation unit. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.
- vii. Project proponent shall ensure that an interlocking system will be provided to the boiler in such a way that whenever ESP fails, the fuel feed to the boiler will stop automatically.
- viii. Project proponent shall install CO₂ scrubber for recovery of CO₂. CO₂ generated from the process shall be bottled/made solid ice and utilized/sold to authorized vendors.
- ix. Fly ash generated from boiler and raw material shall be transported through covered trucks.
- x. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- xi. Storage of raw materials, coal etc. shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. For online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises and connected to CECB and CPCB online servers.
- ii. Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
- iii. Process effluent/any waste water shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- iv. The quality of treated effluent shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Chhattisgarh Environment Conservation Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- v. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.
- vi. Other low strength effluent: Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank, neutralization tank, primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. Domestic waste water shall be treated in sewage treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection. Spent Wash/stillage shall be sent to the decanter followed by the Multiple Effect Evaporator and dryer to form DDGS. DDGS to be used as cattle feed. STP shall be installed to treat domestic

wastewater. The plant will be based on 'Zero Liquid Discharge' system and no effluent/treated water will be discharged outside factory premises.

- vii. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains etc. to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Acoustic enclosure shall be provided to DG set for controlling the noise pollution.
- ii. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

VI. Waste Management

- i. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- ii. Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to Cement and other suitable industries for its incinerations. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed of to the TSDF.
- iii. The company shall undertake waste minimization measures as below:-
 - a) Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b) Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c) Use of automated filling to minimize spillage.
 - d) Use of close feed system into reactors.
 - e) Venting equipment through vapour recovery system.
 - f) Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area of at-least 4.43 ha. (40 %) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant.

VIII. Safety, Public hearing and Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- vi. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. Project Proponent proposed to allocate Rs. 4.25 Crores towards CER which shall be spent as submitted in CER plan for Eco Park Development, Development of Pond, Plantation at School premises, Development of Eco library and etc. in the village Mudpaar, Banari, Parsada, Hathi tikra, Amartal & Navapara. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The Project proponent shall submit progress report with photograph of every work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months in SEIAA/SEAC, C.G.
- iii. The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Additional Conditions

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
- ii. No additional land shall be acquired for this project.
- iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

- iv. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months in SEIAA/SEAC, C.G.
- v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the Chhattisgarh Environment Conservation Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- x. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as the Ministry, New Delhi, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- xi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board and the State Government.
- xii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the ETA/EEMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Level Expert Appraisal Committee.
- xiii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) / SEIAA, CG.
- xiv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xv. The MoEF&CC / SEIAA, CG may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xvi. The MoEF&CC / SEIAA, CG reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xvii. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- xviii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xix. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

मेसर्स जामझोर लो-ग्रेड लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री चिरंजीव महान्ती)
को खसरा क्रमांक 116/1/2, 116/2, 117/1/2, 117/2, 117/3 एवं 118/2, कुल
लीज क्षेत्र 1.105 हेक्टेयर, ग्राम-जामझोर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ में लो-ग्रेड
चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 20,437 टन (8,175 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.105 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से लो-ग्रेड चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,437 टन (8,175 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी

री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26	2%	0.52	Following activities at Nearby, Govt Primary School, Village-Jamjhor	
			Potable Drinking Water Facility at Govt. primary School, Jamjhor	0.159
			Plantation around Village Pond	0.584
			Total	0.744


21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (अर्जुन, सीसु, सिरसा, शीशम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 3,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 41,450 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 16,980 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जामझोर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 125/1 क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य (Principal) के सहमति उपरांत स्कूल में पेयजल की व्यवस्था हेतु 15,990 रुपये का विस्तृत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया

जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 550 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 260 नग पौधों का रोपण (कुल 810 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री साई हनुमंत स्टोन मुढ़ेना (प्रो.- श्री साई हनुमंत स्टोन, पार्टनर-श्री अजय सिंहदेव एवं श्री हेमंत साहू) को खसरा क्रमांक 167/2, 168, 169/1, 169/2, 172, 173, 174, 175, 215 एवं 216, कुल लीज क्षेत्र 1.79 हेक्टेयर, ग्राम-मुढ़ेना, तहसील व जिला-महासमुद्र में फर्शी पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 2,000 घनमीटर (5,000 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.79 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2,000 घनमीटर (5,000 टन) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
8. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी

री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

9. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
13. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
14. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-


Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.07	2%	1.001	Following activities at Nearby, Village- Mudhena	
			Plantation at Village pond	8.51
			Total	8.51


21. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 75 नग पौधों के लिए राशि 3,750 रुपये, फॉसिंग के लिए राशि 37,500 रुपये, खाद के लिए राशि 375 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,76,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,17,625 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,33,660 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुढेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 761, क्षेत्रफल 1.53 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 870 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 380 नग पौधों का रोपण (कुल 1,250 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स मुड़ियाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री सौरभ चंद्राकर)

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 338, कुल क्षेत्रफल - 4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-मुड़ियाडीह, तहसील व जिला-महासमुंद में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 43,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 43,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-


Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.47	2%	0.5094	Following activities at Nearby, Village- Mudiyadih	
			Plantation at Village Pond	0.718
			Total	0.718


25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 40 नग जिसमें से 5 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित है। शेष 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पासिद के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम मुड़ियाडीह के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 207, क्षेत्रफल 0.44 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

34. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा

संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बम्हनी सेण्ड माईनिंग (प्रो.- श्री पंकज कुमार चंद्राकर)

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 654, कुल क्षेत्रफल - 4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-बम्हनी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,910 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए. ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.42	2%	0.54	Following activities at Nearby, Village- Bamhani	
			Plantation at Village Pond	0.71
			Total	0.71


25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत


से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बम्हनी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 253, क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
34. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स दत्तरेंगी सेण्ड माईनिंग (प्रो.-श्री बिनय जायसवाल)

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1512, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-दत्तरेंगी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.58	2%	0.57	Following activities at Nearby, Village- Datrengi	
			Plantation around Pond	0.71
			Total	0.71


25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत


से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रुपये, खाद के लिए राशि 2,625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 25,375 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 46,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दतरेंगी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1072, क्षेत्रफल 1.935 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
34. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.